लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड लोहाघाट,** के माह 02/2005 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री राजेश कुमार सिन्हा (स.ले.प.अ.) एवं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (स.ले.प.अ.) द्वारा दिनांक 17/05/2016 से 24/05/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेक्षपरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड लोहाघाट** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री वी॰ एस॰ पवार एवं जी॰ पी॰ के॰ अस्थाना लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09/02/2005 से 16/02/2005 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 05/2003 से 01/2005 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2005 से 04/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

1. 2. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं ने खण्ड का पदभार संभाले रखा।

1. श्री दान सिंह कुटियाल 17.09.2001 से 07.07.2006
2. श्री डुंगट सिंह बिष्ट 08.07.2006 से 30.09.2008
3. श्री गोपाल सिंह मेहरा 01.10.2008 से 23.02.2010
4. श्री शंकर प्रसाद शर्मा 24.02.2010 से 31.03.2011
5. श्री गोपाल सिंह मेहरा 01.04.2011 से 01.09.2011
6. श्री उमेश कुमार 02.09.2011 से 04.07.2015
7. श्री अवधेश राम 05.07.2015 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनो की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत थी।

क्रम संख्या	प्रतिवेदनसंख्या /वर्ष	भाग 2-अ	भाग -2ब
1	59/90--91	02	
2	53/96--97	2,3	
3	108/2001–02	1,2	
4	09/2002-03	1	
5	04/2003-04	1	
6	03/2005-06	01	01

4. अप्रस्तुत अभिलेख :- शून्य

5. सतत अनियमितताये :- शून्य

6. बजट आवंटन :- (धन राशि लाख मे)

	आयोजनगत (plan)		आयोजनेत्तर (non-plan)	
वित्तीय वर्ष	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2012-13	161.53	151.82	31.26	31.26
2013-14	708.99	556.87	19.36	15.70
2014-15	1182.11	1280.08	24.80	24.80
2015-16	1643.57	1602.24	48.89	48.89
2016-17	Not provided			

प्रस्तर 1: नहरों पर रु 104.45 लाख व्यय के बावजुद सिंचन क्षमता का कम रहना।

अधशासी अभियंता, सिंचाई खंड, लोहाघाट की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि सिंचाई खंड लोहाघाट के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 के मध्य कुल सिंचित भूमि 15606.00 हेक्टेयर उपलब्ध थी जिसे रबी एवं खरीफ फसल हेतु सिंचित किया जाना था किन्तु खंड द्वारा न केवल सींच भूमि का लक्ष्य मात्र 4825.00 हेक्टेयर ही प्राप्त किया गया अपितु इन सिंचित भूमि हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नहरों के रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल रु 104.45 लाख व्यय करते हुये भी सिंचित भूमि से मात्र रु 1.91 लाख का ही राजस्व प्राप्त किया गया।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि कृषको के पलायन, नहरों का परित्याग एवं काश्तकारों की खेती मे कम रुचि के कारण लक्ष्य मे कमी थी तथा इसे बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि का सिंचन सिंचित योग्य भूमि के सापेक्ष पिछले पाँच वर्षो मे प्रत्येक वर्ष लगभग समान था, जो इंगित करता है कि भूमि के सिंचन को बढ़ाने हेतु खंड द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए थे।

अतः खंड द्वारा सिंचित भूमि क्षमता 15606.00 हेक्टेयर के सापेक्ष मात्र 4825.00 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त किए जाने तथा उसके सिंचन हेतु नहरों पर रु 104.45 लाख का अलाभकारी व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारयों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 1: वित्तीय नियमो के विपरीत अपूर्ण कार्य पर रु 831.28 लाख का व्यय

उत्तराखंड शासन द्वारा सी एस एस (पुनर्निर्माण) मद के अंतर्गत ज़िला चंपावत मे टनकपुर शहर नायकगोठ एवं थ्वालखेड़ा ग्रामो कि शारदा नदी से सुरक्षा हेतु सुरक्षा बाढ़ योजना हेतु रु 1014.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2014) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति रु 874.94 लाख की प्रदान की गयी (मई 2014)। कार्यो के निष्पादन हेतु दो अनुबंध 02/SE/2013-14 & 04/SE/2013-14 दिनांकित 25-03-2014 क्रमशः रु 557.00 लाख एवं रु 350.16 लाख के गठित किए गए.

अधशासी अभियंता, सिंचाई खंड, लोहाघाट की लेखा परीक्षा मे (मई 2016) पाया गया कि खंड द्वारा उपरोक्त कार्य निष्पादन हेतु न केवल प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व अपितु प्राविधिक स्वीकृति से अधिक लागत पर अनुबंध भी गठित किए गए । इसके अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति के दो वर्ष बाद कार्य पर कुल व्यय रु 831.28 लाख के बाद भी अनुबंध संख्या 02/SE/ 2013-14 का अंतिमीकरण भी नहीं किया गया था जबकि BOQ के अनुसार रु 150.72 लाख के कार्य कराये जाने अवशेष थे।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बताया गया कि कार्य आपदा एवं आवश्यक प्रकृति के होने के कारण तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा मे अनुबंध पूर्व मे ही गठित कर लिए गए थे तथा कुछ अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया गया है किन्तु धनाभाव के कारण अंतिम भुगतान बिल अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। खंड द्वारा कार्य पूर्ण होने संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय स्वीकृति के अनुसार तकनीकी स्वीकृत से पूर्व किसी भी स्थिति मे धनराशि व्यय नहीं की जानी चाहिए थी। तथा जंहा आपदा एवं आवश्यक प्रकृति के कार्य की बात है तो अनुबंध समाप्ति के 20 माह बाद भी कार्य का पूर्ण न होना सिद्ध करता है कि वित्तीय नियमो की विरुद्ध रु 831.28 लाख व्यय के उपरांत भी कार्य अपूर्ण था।

अतः वित्तीय नियमो का पालन न करते हुये अपूर्ण कार्य पर रु 831.28 लाख के व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2: रु 4.97 लाख के अधिक वेतन भुगतान की वसूली के संबंध मे

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 359/XXVII/(I) 2008 दिनांक 17 अक्तूबर 2008 के आदेशानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के अंतर्गत वेतन का निर्धारण किया जाना था।

अधशासी अभियंता, सिंचाई खंड, लोहाघाट मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका की लेखा परीक्षा मे (मई 2016) पाया गया कि खंड मे कार्यरत तीन अधिकारियों (श्री जगत नारायण सिंह, श्री गिरीश सिंह नयाल एवं श्री राकेश कुमार यादव) के पदोन्नति पर उनका वेतन निर्धारण देय वेतनमान से अधिक पर निम्नानुसार किया गया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2016 तक कुल रु 496822.62 (गणना संलग्नानुसार) का अधिक आहरण उक्त तीनों अधिकारियों द्वारा किया गया था।

क्रम स0	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	पदोन्नति से पूर्व वेतनमान	पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण	
				किया जाना था	किया गया
1	श्री जगत नारायण सिंह	18.03.2011	12280+4200/	12780+4800/- 13310+4800/-	14520+4800/-
2	श्री गिरीश सिंह नयाल	30.04.2011	11800+4200/-	12280+4800/-	13950+4800/-
3	श्री राकेश कुमार यादव	30.04.2011	11800+4200/-	12280+4800/-	13950+4800/-

उपरोक्त अधिकारिओ द्वारा अधिक राशि आहरण किए जाने की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया की अभिलेखो की जांच के उपरांत आवश्यक कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार(ले0 प0), देहारादून को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः खंड के अंतर्गत कार्यरत तीन अधिकरिओ द्वारा अधिक वेतन के आहरण के फलस्वरूप कुल रु 4.97 लाख की वसूली का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो -ब

प्रस्तर-3 डी॰ पी॰ आर॰ एवं अन्य प्रारम्भिक कार्य पर हुए व्यय का अनुपयोगी होना `38.00 लाख

राष्ट्रीय सम विकास योजना मद में चम्पावत जनपद के लोहाघाट में कोलिडेक कृत्रिम झील निर्माण की योजना हेतु जिलाधिकारी चम्पावत से `267.00 लाख की राशि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान तीन किस्तों मे प्राप्त हुई थी। उस योजना के निर्माण के लिए मुखयमन्त्री, उत्तराखंड द्वारा 25 अप्रैल 2011 को घोषणा की गयी और घोषणा संख्या 438/2011(सिंचाई) के अतर्गत पत्र दिनांक 02.06.11 से अग्रेतर कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी। कृत्रिम झील के निर्माण मे पर्यटन, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, जल संवर्धन के साथ-साथ क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के उदेश्य की पूर्ति समाहित थी। मुख्य अभियंता (उत्तर) सिंचाई विभाग, उत्तराखंड हल्द्वानी के अनुसार यह योजना पर्यटन हेतु लोहाघाट क्षेत्र के मील के पत्थर सिद्ध होने के साथ उस शहर को स्वच्छ पेयजल के लिए भी उपयोगी सिद्ध होनी थी।

अभिलेखो की जांच मे यह पाया गया की सिंचाई खंड, लोहाघाट द्वारा प्राप्त राशि ` 267.00 लाख में से `38.00 लाख की राशि प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य एवं डी॰ पी॰ आर॰ बनाने में व्यय (जुलाई 2009) की गयी थी जैसा कि अधिशासी अभियंता के संक्षिप्त आख्या (7.6.2013 के बाद) से विदित होता है। शेष राशि `229.00 लाख को, शासन तथा जिलाधिकारी चंपावत के आदेश सं॰ 1416/पी॰ए 00/10 दिनांक 1.04.2010 के अनुपालन में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को प्रेषित (22.04.2010) कर दी गई थी। इस राशि को परिषद से पुनः प्राप्त कर (16.12.2011) भारत सरकार को प्रेषित कर (24/5/2012) दी गई थी। उस प्रकार अवशेष राशि `229.00 लाख विभिन्न विभागो को प्राप्त होती रही और उपयुक्त व्यवस्था (management) नहीं रहने के कारण भारत सरकार को समर्पित हो गयी थी जिसके कारण राज्य को `229.00 लाख के लाभ से वंचित रहना पड़ा तथा राशि को उपयोग जुलाई 2009 के बाद से नहीं हो सका था।

पुन: यह पाया गया की डी॰ पी॰ आर॰, जो कि `17.52 लाख की लागत से IIT द्वारा तैयार करवायी गयी थी, मुख्य अभियंता (उत्तर) को सिंचाई विभाग, हल्द्वानी को प्रेषित (03.06.2009) की गयी थी परन्तु अभिलेखो से यह ज्ञात नहीं होता है कि कालांतर मे उस संबंध मे कोई कार्यवाही की गयी थी ताकि शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

इस प्रकार प्रारम्भिक सर्वेशन एवं डी॰ पी॰ आर॰ बनाने पर किया गया ` 38.00 लाख व्यय अनुपयोगी सिद्ध होने के साथ ` 229.00 लाख की केंद्रीय सहायता से उपयुक्त व्यवस्था(management) के अभाव के कारण वंचित होना पड़ा।

उपरोक्त तथ्य को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया की व्यय की गई राशि अनुपयोगी नहीं थी क्योकि शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्य संपादित किया जाएगा।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि जून 2009 ने डी॰ पी॰ आर॰ प्रेषित किए जाने के पश्चात अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए है। पुन: यह भी स्पष्ट नहीं है की मुख्य अभियंता (उत्तर) हल्द्वानी के द्वारा संबन्धित डी॰ पी॰ आर॰ को शासन की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया था।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड लोहाघाट,** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/5, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II